प्रकरण संख्या 26/2020 दूदा बनाम ओगड़ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वारडी, तहसील मावली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात कुल किता 19 रकबा 42 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लच्छा पिता गिरधारी के नाम 1/3 हिस्से से संयुक्त खातेदार अंकित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष गिरधारी जी के तीन पुत्र कालु, गांगा व लच्छा उर्फ लच्छीराम तथा एक पुत्र घीसी हुई, जिसमें से लच्छा लाऔलाद फोत हुआ तथा घीसी की भी मृत्यु हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 कालू व गांगा के वारिस हैं। लच्छा के कोई संतान नहीं होने से मुझ वादी के साथ ही निवास करते थे तथा उनकी सेवा सुश्रुषा वादी ने ही की इस कारण लच्छा जी द्वारा मुझ वादी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 15.06.1999 को कर दिया, तब से वादी उक्त आराजियात पर काबिज चला आ रहा है तथा एक मात्र मालिक स्वामी है। अतः विवादित का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.01.2020 से वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण जवाबदावा पेश नहीं किये जाने से अपीलान्ट के वाद का खण्डन नहीं हुआ है तथा वादी ने गवाहों के बयानों से उक्त वसीयत को साबित कराया है, लेकिन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए विधिक सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न वसीयतनामा प्रदर्श पी. 2 ए अनुसार लच्छीराम द्वारा दिनांक 15.06.1999 को वादी/अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की जाना प्रकट होता है। हालांकि उक्त वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं है, किन्तु नोटरी से प्रमाणित होकर उस पर साक्ष्य लाली पत्नी भंवरलाल, ठाकरी गुर्जर, लेहरी पत्नी भेरा एवं कुस्बा पत्नी लच्छीराम द्वारा दी गयी है तथा वादी ने ठाकरी एवं खीमा के बयानों से उक्त दस्तावेज को साबित कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत रजिस्टर्ड नहीं होने एवं मात्र नोटरी से प्रमाणित होने के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उक्त वसीयतनामें पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
[illegible]न्ध अधिकारी
[illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:18 IST
Reason: SelfAttested